# निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968

**संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचनों में प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, चयन तथा आबंटन के लिए, उनके संबंध में राजनैतिक दलों को मान्यता देने के निमित्त तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए**

**आदेश**

का0 आ0 2959, तारीख 31 अगस्त, 1968 संसद् और हर राज्य के विधान-मंडल के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण, भारत के संविधान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में निहित है ;

और, लोक सभा तथा हर राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों की शुद्धता के हित में तथा ऐसे निर्वाचनों के उचित एवं दक्षतापूर्ण रीति से संचालन के हित में, प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, चयन तथा आबंटन के लिए, उनके संबंध में राजनैतिक दलों को मान्यता देने के निमित्त तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबंध करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः भारत निर्वाचन आयोग [1][लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और नियम 10 के साथ पठित] संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करता है :--

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारंभ**-- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से भिन्न सभी संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में के निर्वाचनों के संबंध में लागू होता है ।

(3) यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा; इस तारीख को इसमें इसके पश्चात् इस आदेश का प्रारंभ कहा गया ।

**2. परिभाषाएं और निर्वचन**-- (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "खंड" से उस पैरे या उप पैरे का कोई खंड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है ;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन गठित भारत का निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "निर्वाचन-क्षेत्र" से संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "सविरोध निर्वाचन" से किसी संसदीय अथवा सभा निर्वाचन-क्षेत्र से ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है, जिसमें मतदान होता है ;

(ङ) "निर्वाचन" से वह निर्वाचन अभिप्रेत है जिसे यह आदेश लागू होता है ;

[2][(ङङ) "फार्म" का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्न फार्म है;]

(च) "साधारण निर्वाचन" से कोई ऐसा साधारण निर्वाचन अभिप्रेत है, जो लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा का गठन करने के निमित्त इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् किया गया हो, और इसके अंतर्गत वह साधारण निर्वाचन आता है जिसके द्वारा लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा, जो ऐसे प्रारंभ होने के समय विद्यमान है और कार्य कर रही है, गठित की गई हो ;

(छ) "पैरा" से इस आदेश का पैरा अभिप्रेत है ;

[3][(ज) "राजनैतिक दल" से भारत के व्यष्टिक नागरिकों का ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है ;]

---

[1] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 56(अ), तारीख 15 जून, 1989 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 121(अ) तारीख, 15 दिसंबर, 1997 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3001, तारीख 10 सितंबर, 1970 द्वारा खंड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(झ) "राज्य" में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी सम्मिलित है ;]

(ञ) "उपपैरा" से उस पैरे का उपपैरा अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है ; [2]***

[3][(ञञ) "संघ राज्यक्षेत्र" से तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्र, पांडिचेरी के अतिरिक्त अन्य संघ राज्यक्षेत्र है ; तथा]

(ट) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) या तद्धीन बनाए गए नियमों या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) या तद्धीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों और नियमों में क्रमशः समनुदिष्ट हैं ।

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के संबंध में यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के संबंध में लागू होता है ।

[4]* * * * *

**4. प्रतीकों का आबंटन**--निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को इस आदेश के उपबंधों के अनुसार हर सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आबंटित किया जाएगा तथा उसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न-भिन्न प्रतीक आबंटित किए जाएंगे ।

**5. प्रतीकों का वर्गीकरण**--(1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक या तो आरक्षित है अथवा मुक्त ।

(2) इस आदेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है, जो किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के लिए, उस दल के द्वारा खड़े किए गए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को ही अनन्य रूप से आबंटित किए जाने के लिए आरक्षित है ।

(3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है ।

[5][**6. राजनैतिक दलों का वर्गीकरण**--(1) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर, आयोग विनिर्दिष्ट करे, राजनैतिक दल या तो मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है अथवा अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल ।

(2) कोई मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल या तो राष्ट्रीय दल होंगे या राज्यीय दल ।

[6][**6क. राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें**--कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में तभी और केवल तभी किसी राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए पात्र होगा, यदि निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी की जाती है :--

(i) राज्य की विधान सभा के लिए अंतिम साधारण निर्वाचनों में उस दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने राज्य में डाले गए कुल विधिमान्य मतों में से छह प्रतिशत से अन्यून मत प्राप्त किए हों ; और, इसके अतिरिक्त, उस साधारण निर्वाचन में उस दल के कम से कम दो सदस्य उस राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए हों ; या

(ii) उस राज्य से लोक सभा के लिए अंतिम साधारण निर्वाचनों में उस दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने राज्य में डाले गए कुल विधिमान्य मतों में से छह प्रतिशत से अन्यून मत प्राप्त किए हों ; और, इसके अतिरिक्त, उस साधारण निर्वाचन में उस दल का कम से कम एक सदस्य उस राज्य से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ हो ; या

(iii) राज्य की विधान सभा के लिए अंतिम साधारण निर्वाचनों में उस दल ने विधान सभा के स्थानों की कुल संख्या में से कम से कम तीन प्रतिशत (आधे से अधिक भिन्नांश को एक के रूप में संगणित किया जाएगा), या विधान सभा में कम से कम तीन, इनमें से जो भी अधिक हो, स्थान जीते हों ; या

(iv) उस राज्य से लोक सभा के लिए अंतिम साधारण निर्वाचनों में उस दल का, उस राज्य को लोक सभा के लिए आबंटित प्रत्येक 25 सदस्यों या उसके किसी भिन्नांश के लिए कम से कम एक सदस्य निर्वाचित हुआ हो ।

**6ख. एक राज्यीय दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें**--किसी राष्ट्रीय दल को छोड़कर कोई राजनैतिक दल किसी राज्य अथवा राज्यों में मान्यताप्राप्त तभी और केवल तभी माना जाएगा, यदि :--

या (क) (i) इसके द्वारा लोक सभा के अथवा संबंधित राज्य की विधान सभा के पिछले साधारण निर्वाचन में खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने उस निर्वाचन में, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, और (ii) इसके अतिरिक्त उस विधान सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में उसने उस राज्य की विधान सभा के लिए कम से कम दो सदस्य निर्वाचित कराए हैं ।

या (ख) इसने उपर्युक्त साधारण निर्वाचन में, राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या में से कम से कम तीन प्रतिशत स्थान किसी आधे से अधिक भाग (भिन्न) को एक गिना जाएगा या विधान सभा में कम से कम तीन स्थान जो भी अधिक हैं, जीते हैं ।

**6ग. राष्ट्रीय या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त बने रहने के लिए शर्तें**--यदि कोई राजनैतिक दल पैरा 6क के अधीन राष्ट्रीय दल या पैरा 6ख के अधीन राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त है, तो यह प्रश्न कि क्या लोक सभा या जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य की विधान सभा के किसी अनुवर्ती साधारण निर्वाचन के बाद भी ऐसे मान्यताप्राप्त बने रहेंगे, यह उस साधारण निर्वाचन के परिणामों पर उक्त पैरे में विनिर्दिष्ट शर्तों को उनके द्वारा पूरा किए जाने पर निर्भर करता है ।

---

[1] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 6(अ), तारीख 8 जून, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 6(अ), तारीख 8 जून, 1999 द्वारा लोप किया गया ।

[3] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 6(अ), तारीख 8 जून, 1999 द्वारा अतःस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 21(अ), तारीख 23 मार्च, 1992 द्वारा (25-3-1992 से) पैरा 3 का लोप किया गया ।

[5] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2000 द्वारा धारा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] अधिसूचना सं0 56/2005/जे.एस.-III, तारीख 14 मई.2005 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**7. व्यावृत्ति और निर्वचन**--[2][(1) पैरा 6क, पैरा 6ख या पैरा 6ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राजनीतिक दल ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (संशोधन) आदेश, 2005 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात्, मान्यता के लिए ऐसे प्रारंभ से पूर्व यथाविद्यमान शर्तों को पूरा करने पर या तो एक राष्ट्रीय दल या एक राज्य दल के रूप में मान्यताप्राप्त कर ली थी तो ऐसी मान्यता के लिए आधार बनने वाले निर्वाचन (निर्वाचनों) पर निर्भर करते हुए, उक्त दल, यथास्थिति, लोक सभा या संबंधित राज्य की विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ऐसे राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में अपनी प्रास्थिति को जारी रखेगा और उसका फायदा लेता रहेगा और तत्पश्चात् ऐसे राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में उसकी निरंतर मान्यता उसके द्वारा अब, यथास्थिति, पैरा 6क या 6ख में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर निर्भर होगी :

परंतु इसकी कोई बात आयोग को किसी दल की या तो एक राष्ट्रीय दल या एक राज्य दल के रूप में मान्यता को वापस लेने से निवारित नहीं करेगी, यदि ऐसा दल निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (संशोधन) आदेश, 2005 के प्रारंभ से पूर्व और साथ ही पश्चात् ऐसी मान्यता के लिए विद्यमान किन्हीं शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहता हो ।]

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 6क या पैरा 6ख की शर्तों को किसी राजनीतिक दल द्वारा तब पूरा किया गया नहीं समझा जाएगा, --

(i) यदि, यथास्थिति, लोक सभा या संबंधित राज्य की विधान सभा के अंतिम साधारण निर्वाचन के पश्चात्, उसका नए सिरे से गठन किया जाता है, चाहे ऐसा किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल में विभाजन के परिणामस्वरूप या अन्यथा किया गया हो, और उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ; या

(ii) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या उस विधान सभा में उसके निर्वाचन के पश्चात्, उस दल में सम्मिलित होने पर या उस दल की सदस्यता प्राप्त करने पर ।]

**8. राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आबंटन**--(1) भारत के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन में किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़ा किया गया ऐसा कोई अभ्यर्थी उस दल का आरक्षित प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा ।

(2) किसी ऐसे राज्य में जिसमें ऐसा दल राज्यीय दल है, किसी निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन में उस दल द्वारा खड़ा किया गया कोई अभ्यर्थी उस राज्य में उस दल का आरक्षित प्रतीक न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा, तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा ।

(3) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में आरक्षित प्रतीक का किसी ऐसे अभ्यर्थी द्वारा चयन तथा उसे उसका आबंटन न किया जाएगा जो उस राष्ट्रीय दल द्वारा, जिसके लिए ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, या उस राज्यीय दल द्वारा, जिसके लिए उस राज्य में, जिसमें वह राज्यीय दल है, ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न हो, भले ही उस निर्वाचन-क्षेत्र में ऐसे राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल द्वारा कोई भी अभ्यर्थी खड़ा न किया गया हो ।

[3][**9. राज्यीय दलों के लिए आरक्षित प्रतीकों के उन राज्यों के आबंटन पर निर्बन्धन जिनमें ऐसे दल मान्यताप्राप्त नहीं हैं**---

किसी भी राज्य में किसी राज्यीय दल के लिए आरक्षित प्रतीक:---

[4][(क) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तथा

(ख) किसी अन्य दल के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा जो, किसी अन्य राज्य के राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पैरा 6 में निर्दिष्ट शर्तें पूरा करने पर बाद में पात्र हो जाता है ।

बशर्ते खंड (ख) में निहित कुछ भी राजनैतिक दल के संबंध में लागू न होता हो, जिसके लिए आयोग ने, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (संशोधन) आदेश, 1997 लागू होने के तत्काल पहले उसी प्रतीक को पहले ही आरक्षित किया हो जिसे इसने किसी अन्य राज्य या राज्यों में किसी अन्य राज्यीय दल या दलों के लिए भी आरक्षित कर दिया हो ।]

[4][**10. राज्यीय दल द्वारा अन्य राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचनों में खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायतें**--यदि कोई राजनैतिक दल, जो किसी राज्य या किन्हीं राज्यों में राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त है, किसी निर्वाचन में किसी भी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन-क्षेत्र से जहां कि यह एक मान्यताप्राप्त राज्यीय दल नहीं है, कोई अभ्यर्थी खड़ा करता है तो, उस निर्वाचन-क्षेत्र से अन्य सभी अभ्यर्थियों का अपवर्जन करते हुए उस दल के लिए उस राज्य या उन राज्यों में, जहां वह मान्यताप्राप्त राज्यीय दल है, आरक्षित प्रतीक, इसके बावजूद कि ऐसा प्रतीक ऐसे अन्य राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक को पूरा करने पर, ऐसे अभ्यर्थी को आबंटित किया जाएगा, अर्थात् :---

(क) कि उक्त दल ने, अपने द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए आवेदन, निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीन दिन के भीतर,, आयोग को दे दिया है ;

(ख) कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देशन-पत्र में यह घोषणा की है कि निर्वाचन में उक्त दल द्वारा उसे खड़ा किया गया है और यह कि दल ने ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में पैरा 13-क के साथ पठित पैरा 13 के खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है, और

(ग) कि आयोग के विचार में ऐसे आबंटन के लिए आवेदन नामंजूर करने का कोई उचित आधार नहीं है :

बशर्ते कि ऐसे राज्यीय दल द्वारा, ऐसे राज्य में, जहां वह दल राज्यीय दल नहीं है और जहां उस राज्य में किसी अन्य राज्यीय दल के लिए वही प्रतीक पहले ही आरक्षित है, किसी निर्वाचन में, किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में, खड़े किए गए अभ्यर्थी पर इस पैरा में अंतर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा।]

---

[1] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63 (अ) तारीख 1 दिसम्बर, 2000 द्वारा धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 56/2005/जे.एस. III , तारीख 14 मई, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 121(अ), तारीख 15 दिसंबर,1997 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 6 (अ) तारीख 8 जून, 1999 द्वारा धारा 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**10क. किसी अमान्यताप्राप्त दल द्वारा, जो राष्ट्रीय या राज्यीय दल के रूप में पहले मान्यताप्राप्त था, खड़े किए अभ्यर्थियों को छूट**— यदि कोई राजनैतिक दल जो इस समय अमान्यताप्राप्त है, लेकिन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से छह वर्षों से अनधिक के पूर्वतम की किसी भी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में एक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय या राज्यीय दल था, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी निर्वाचन में, किसी निर्वाचन क्षेत्र से कोई अभ्यर्थी खड़ा करता है, भले ही वह दल उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में पहले मान्यताप्राप्त था या नहीं, तब ऐसे अभ्यर्थी को उस निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे सभी अभ्यर्थियों का अपवर्जन करते हुए वह प्रतीक आबंटित किया जाएगा जो उस दल के लिए पहले आरक्षित था जब वह दल मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल था, इस बात के होते हुए भी कि वह प्रतीक ऐसे राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के मुक्त प्रतीकों की सूची में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, बशर्ते निम्नलिखित में से प्रत्येक शर्तें पूरी होती हों, अर्थात् :–

(क) कि उक्त दल ने अपने द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को वह प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए आवेदन, निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीसरे दिन के भीतर आयोग को दे दिया है ;

(ख) कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र में यह घोषणा की हो कि उसे निर्वाचन में उस दल द्वारा खड़ा किया गया है और यह कि उस दल ने ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में पैरा 13क के साथ पठित पैरा 13 के खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) की अपेक्षाएं भी पूरी कर ली हैं, और

(ग) कि आयोग के विचार में उसके पास ऐसे आवंटन के लिए इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई यथोचित आधार नहीं है :

बशर्ते किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, किसी निर्वाचन में, उक्त दल द्वारा खड़े किए गए उस अभ्यर्थी पर इस पैरा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा, जहां पर ऐसा प्रतीक उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी दूसरे राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल के लिए वही प्रतीक पहले से ही आरक्षित है ।**]**

**11. पैरा 10 अथवा पैरा 10क के अधीन आबंटित प्रतीकों के चयन तथा आबंटन पर निर्बन्धन**--जब कभी किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में तथा ऐसे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन साथ-साथ होते हैं, तब पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी में भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी--

(क) यदि किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी का [2][पैरा 10 अथवा पैरा 10क] के अधीन कोई प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित किया गया है तो वह प्रतीक उक्त सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी में के किसी भी निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक वह अभ्यर्थी उसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी न हो ;

(ख) यदि उक्त सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी में के किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी का [2][पैरा 10 अथवा पैरा 10क] के अधीन कोई प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित किया गया है तो वह प्रतीक उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक वह अभ्यर्थी उसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी न हो ।

[3][**12. अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन और उनका आबंटन**-- (1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से, निर्वाचन में--

(क) किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी, अथवा

(ख) किसी ऐसे राजनैतिक दल द्वारा, जो उस राज्य में राज्यीय दल है, खड़े किए गए अभ्यर्थी ; अथवा

(ग) पैरा 10 अथवा पैरा 10क में निर्दिष्ट अभ्यर्थी,

से भिन्न कोई अभ्यर्थी इस पैरा में एतद्द्वारा दिए गए उपबंधों के अनुसार, पैरा 17 के अधीन अधिसूचना द्वारा उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों के रूप में विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से एक प्रतीक को चुन लेगा और वही उसे आबंटित किया जाएगा ।

(2) जहां कि ऐसे निर्वाचन में कई मुक्त प्रतीक केवल एक अभ्यर्थी द्वारा चुना गया है, वहां रिटर्निंग आफिसर वह प्रतीक उस अभ्यर्थी को न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा ।

(3) जहां कि ऐसे निर्वाचन में कई अभ्यर्थियों द्वारा एक ही मुक्त प्रतीक चुना गया है, वहां--

(क) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से केवल एक अभ्यर्थी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तथा शेष सभी निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, तो रिटर्निंग आफिसर यह मुक्त प्रतीक उस अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा, और यदि उन कई अभ्यर्थियों में से दो या अधिक अभ्यर्थी विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए हैं, तथा शेष निर्दलीय अभ्यर्थी हैं तो, रिटर्निंग आफिसर लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए, उन दो या अधिक अभ्यर्थियों में से किसको वह मुक्त प्रतीक आबंटित किया जाए तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा :

परन्तु जहां विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए ऐसे दो या अधिक अभ्यर्थियों में से एक, ऐसे निर्वाचन से, ठीक पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा, का आसीन सदस्य है, या था (इस तथ्य पर विचार किए बिना कि पहले निर्वाचन में जब वही मुक्त ऐसा सदस्य चुना गया था उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था अथवा कोई अन्य प्रतीक), वह रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ;

(ख) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से कोई भी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है लेकिन सभी अभ्यर्थी निर्दलीय हैं, तथा उन निर्दलीय अभ्यर्थियों में से एक ऐसे निर्वाचन से ठीक पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा का आसीन सदस्य है, या था, और पहले निर्वाचन में जब वह ऐसा सदस्य चुना गया था तब उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा; तथा

---

[1] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63अ, तारीख 1 दिसम्बर, 2000 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63अ, तारीख 1 दिसम्बर, 2000 द्वारा " पैरा 10" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63अ, तारीख 1 दिसम्बर, 2000 द्वारा धारा 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) यदि उन कई अभ्यर्थियों में सभी निर्दलीय हैं और कोई भी यथापूर्वोक्त आसीन सदस्य नहीं है या नहीं था, तो रिटर्निंग आफिसर लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि उन निर्दलीय अभ्यर्थियों में से किसको वह मुक्त प्रतीक आबंटित किया जाए, तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले, उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ।]

[1][**13. कोई अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जाएगा**----किसी भी संसदीय अथवा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से किसी निर्वाचन के प्रयोजन से जिस पर यह आदेश लागू होता है ऐसे किसी संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी को तभी और सिर्फ तभी खड़ा किया माना जाएगा यदि,--

(क) अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देशन-पत्र में इस आशय की एक निर्धारित घोषणा की है;

[2][(कक) अभ्यर्थी उस राजनैतिक दल का सदस्य है और उसका नाम दल के सदस्यों की नामावली में शामिल है ;]

(ख) राजनैतिक दल द्वारा लिखित में फार्म में इस आशय की सूचना नामनिर्देशन-पत्र भरने की अंतिम तारीख को 3 बजे पूर्वाह्न से अपश्चात् निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को दे दी गई हो ;

(ग) उक्त नोटिस फार्म "ख" में दल के अध्यक्ष, सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो और नोटिस भेजने वाले अध्यक्ष, सचिव या ऐसे अन्य पदाधिकारी को दल द्वारा ऐसी सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ;

(घ) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और नमूना हस्ताक्षर दल द्वारा फार्म "क" में निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को [3][संबंधित राज्य अथवा संघ रज्यक्षक्षेत्र] के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख को 3 बजे पूर्वाह्न के अपश्चात् से सूचित कर दिए गए हैं, और

(ङ) फार्म "क" और "ख", उक्त पदाधिकारी या दल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है :

बशर्ते ऐसे किसी प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि हस्ताक्षर या रबड़ स्टांप आदि के माध्यम से किए हुए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और फैक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

**13क. किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी का प्रतिस्थापन :--** किसी भी संदेह के निराकरण हेतु इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई राजनैतिक दल जिसने पैरा 13 के अधीन फार्म "ख" में अभ्यर्थी के पक्ष में नोटिस दिया है उसे उस नोटिस का विखंडन कर सकता है और निर्वाचन-क्षेत्र के लिए फार्म "ख" में एक संशोधित नोटिस दूसरे अभ्यर्थी के पक्ष में दे सकता है ।

बशर्ते फार्म "ख" में पुनरीक्षित सूचना जो स्पष्ट तौर पर उसमें यह बताती हो कि फार्म "ख" में पूर्व सूचना रद्द कर दी गई है और नामांकन-पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3 बजे अपराह्न के अपश्चात् उस निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाती है और फार्म "ख" में उक्त पुनरीक्षित सूचना पर पैरा 13 के खंड (घ) में वर्णित प्राधिकृत व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं ।

साथ ही बशर्ते रिटर्निंग आफिसर को यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के संबंध में फार्म "ख" में एक से अधिक सूचना प्राप्त होती है और राजनैतिक दल फार्म "ख" में ऐसी सूचनाओं में यह बताने में असफल रहता है कि फार्म "ख" में पूर्व सूचना या सूचनाएं रद्द कर दी गई हैं । रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी के संबंध में, जिसका नामांकन-पत्र उन्हें प्रथमतः दिया गया था, फार्म "ख" में सूचना स्वीकार करेगा और बाकी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को, जिनके संबंध में उन्होंने फार्म "ख" में सूचना या सूचनाएं प्राप्त की थीं, ऐसे राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के रूप में नहीं माना जाएगा।]

**14.** [4][**पैरा 6क अथवा पैरा 6ख] में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाने पर अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को उनके शीघ्र मान्यता देने के संबंध में अनुदेश निकालने की आयोग की शक्ति**---आयोग अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा [4][पैरा 6क अथवा पैरा 6ख में विनिर्दिष्ट ऐसी मान्यता के लिए कोई भी शर्त पूरी की है] उन्हें शीघ्र मान्यता देने के निमित्त उनके फायदे के लिए ऐसे अनुदेश निकाल सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

---

[1] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 11(अ), तारीख 20 मई, 1999 द्वारा धारा 13 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2000 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 6(अ), तारीख 8 जून, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित ।

**15. किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के अलग समूहों अथवा प्रतिद्वन्दी गुटों के सम्बन्ध में आयोग की शक्ति**--जबकि अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के ऐसे प्रतिद्वन्दी गुट अथवा समूह हैं जिनमें से हर एक वह दल होने का दावा करता है तब आयोग उस मामले के समस्त उपलब्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने तथा उन समूहों अथवा गुटों के ऐसे प्रतिनिधियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो सुनवाई चाहे सुने जाने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि ऐसे प्रतिद्वन्दी गुटों अथवा समूहों में से अमुक गुट अथवा समूह वह राजनैतिक दल है या कोई भी वह राजनैतिक दल नहीं है, तथा आयोग का विनिश्चय ऐसे सभी प्रतिद्वन्दी गुटों अथवा समूहों पर आबद्धकर होगा ।

**16. दो या अधिक राजनैतिक दलों का समामेलन हो जाने की दशा में आयोग की शक्ति**--(1) जब ऐसे दो या अधिक राजनैतिक दल जिनमें से कोई एक मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हो अथवा कुछ या सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हों, कोई एक नया राजनैतिक दल बनाने के लिए परस्पर मिल जाते हैं, तब आयोग, इस मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करके, नए बने दल के ऐसे प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों को, जो सुनवाई चाहें, सुनने के पश्चात् तथा इस आदेश के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय कर सकेगा--

(क) कि ऐसा नया बना राष्ट्रीय दल होना चाहिए अथवा राज्यीय दल ; तथा

(ख) उसे कौन सा प्रतीक आबंटित किया जाए ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन किया गया आयोग का विनिश्चय उस नए बने राजनैतिक दल तथा उसकी सभी घटक यूनिटों के लिए आबद्धकर होगा ।

[1]**[16क. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा आचरण आदेश संहिता का अनुपालन न करने या आयोग के विधिसम्मत निदेशों और अनुदेशों का पालन न करने पर उसकी मान्यता स्थगित करने या वापस लेने की आयोग की शक्ति**-- इस आदेश के होते हुए भी, यदि आयोग का अपने पास उपलब्ध सूचना से समाधान हो जाता है कि इस आदेश के उपबंधों के अधीन राजनैतिक दल चाहे वे राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त हो, यदि अपने आचरण से असफल रहता है, या अस्वीकार करता है या अस्वीकार कर रहा या अवज्ञा दर्शा रहा है या अन्यथा :--

(क) आयोग द्वारा जनवरी, 1991 में और समय-समय पर जारी "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गनिर्देश के लिए आदर्श आचरण संहिता" के उपबंधों का अनुपालन, या

(ख) समय-समय पर आयोग के विधिसम्मत निदेशों और अनुदेशों का पालन और उनका कार्यान्वयन ताकि निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण निर्वाचनों को बढ़ावा मिल सके या सर्वसाधारण विशेष रूप से निर्वाचकों के हितों की रक्षा हो सके,

आयोग उपलब्ध तथ्यों और मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में दलों को उपयुक्त अवसर देने के बाद आयोग जैसा उपयुक्त समझे, ऐसी शर्तों के अधीन ऐसे दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में या राज्यीय दल, जैसा भी मामला हो, की मान्यता स्थगित कर देगा या वापस ले लेगा ।

**17. राजनैतिक दलों तथा प्रतीकों की सूचियों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना**-- (1) निर्वाचन आयोग एक या अधिक अधिसूचनाओं के द्वारा भारत के राजपत्र में--

(क) राष्ट्रीय दलों तथा उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों ;

(ख) राज्यीय दलों, वह राज्य या वे राज्य जिसमें या जिनमें वे राज्यीय दल हैं, तथा ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों;

[2]* * * * * * *

[3][(ग) अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालयों के पते आयोग में रजिस्टर है ;]

[4][(घ) प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचियां प्रकाशित करेगा ।]

(2) ऐसी हर एक सूची यथासंभव अद्यतन रखी जाएगी ।

**18. अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति**---आयोग--

(क) इस आदेश के उपबंधों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए ;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के किसी मामले तथा राजनैतिक दलों की मान्यता के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या उपबंध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्विघ्न तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबंध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा ।

[5]* * * * * * *

---

[1] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 42(अ), तारीख 18 फरवरी, 1994 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63 (अ) तारीख 1 दिसम्बर, 2000 द्वारा खंड (खख) का लोप किया गया ।

[3] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63 (अ) तारीख 1 दिसम्बर, 2000 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 6(अ), तारीख 8 जून, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 6(अ), तारीख 8 जून, 1999 द्वारा पैरा 19 का लोप किया गया ।

## [1][फार्म "क"

**मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल अथवा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के नाम प्रज्ञापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में संसूचना**

**[निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आंबटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 (ग),(घ) व (ङ) देखिए]**

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी .....(राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र)
2. रिटर्निंग आफिसर,.....निर्वाचन-क्षेत्र ।

**विषय :-** .....(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) से ..... के लिए साधारण निर्वाचन प्रतीकों का आंबटन- उम्मीदवारों के नाम प्रज्ञापित करने के लिए व्यक्तियों को प्राधिकृत करना ।

महोदय,

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आंबटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 (ग) व (घ) के अनुसरण में मुझे एतद्द्वारा यह संसूचित करना है कि दल द्वारा जो कि .....एक* राष्ट्रीय दल/*..... राज्य में राज्यीय दल/ *रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल है, निम्नलिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों को उपरिलिखित निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किए जाने वाले प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों को प्रज्ञापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

* जो लागू न हो, उसे काट दें ।

| नोटिस भेजने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम | दल में धारित पद का नाम | निर्वाचन-क्षेत्रों के नाम जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.<br>2.<br>3. | | |

2. इस प्रकार प्राधिकृत उपरिलिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिए गए है :---

1. श्री.....का नमूना हस्ताक्षर
   (i).....(ii).....
   (iii).....
2. श्री.....का नमूना हस्ताक्षर.....
   (i).....(ii).....(iii).....
3. श्री.....का नमूना हस्ताक्षर.....
   (i).....(ii).....(iii).....

भवदीय,

अध्यक्ष/ सचिव
दल का नाम ।

स्थान .....
तारीख ..... (दल की मोहर)

**विशेष दृष्टव्य :** 1. यह रिटर्निंग आफिसर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपराह्न के अपश्चात् अवश्य दे दिया जाए ।

2. फार्म उपर्युक्त पदाधिकारी (पदाधिकारियों) द्वारा स्याही से अवश्य ही हस्ताक्षरित होना चाहिए । किसी भी पदाधिकारी के अनुलिपि हस्ताक्षर अथवा रबर स्टाम्प आदि के माध्यम से किए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
3. फैक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

[1] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 121 (अ), तारीख 15 दिसंबर, 1997 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][फार्म "ख"

## राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों की सूचना

**[निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13(ख), (ग) और 13(क) देखें]**

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ..... (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र)
2. रिटर्निंग आफिसर .....(निर्वाचन-क्षेत्र)

**विषय :** .....(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) से..... ..... के लिए साधारण निर्वाचन-उम्मीदवारों का खड़ा किया जाना ।

महोदय,

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 3 (ख), (ग) और (ड) और 13क के अनुसरण में, मैं.....(दल) की ओर से एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे--

(i) स्तंभ 2 से 4 में दिए गए है उक्त नामित दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तंभ 5 से 7 में वर्णित है, दल का स्थानापन्न अभ्यर्थी है जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन पत्र की समीक्षा के उपरांत खारिज किए जाने अथवा उसके निर्वाचन से हट जाने पर उसका स्थान लेगा यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है ।

| निर्वाचन-क्षेत्र का नाम | अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम | अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/**माता का नाम** | अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक पता | स्थानापन्न अभ्यर्थी का नाम जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम-निर्देशित पत्र की संवीक्षा के उपरांत खारिज किए जाने अथवा उसके निर्वाचन से हट जाने के बाद उसका स्थान लेगा यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है । | स्थानापन्न अभ्यर्थी के पिता/ माता/पति का नाम | स्थानापन्न अभ्यर्थी का डाक का पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

*2. फार्म "ख" में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/ श्रीमती/ सुश्री .....दल के स्थानापन्न अभ्यर्थी के रूप में श्री/ श्रीमती/सुश्री .....के पक्ष में पहले दी गई सूचना एतद्द्वारा विखंडित की जाती है ।

[2][3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है ।]

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय

*यदि लागू न हो तो काट दें ।

(दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर)
(दल की मोहर)

**नोट** : 1. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3 बजे अपराह्न से अपश्चात् रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए ।

2. फार्म पर उक्त वर्णित पदाधिकारी/पदाधिकारियों द्वारा स्याही से हस्ताक्षर होने चाहिए । किसी पदाधिकारी द्वारा रबड़ स्टाम्प द्वारा हस्ताक्षर या जाली हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
3. फैक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
4. यदि लागू न हो तो फार्म का पैरा 2 काट दें, और यदि लागू हो तो उसे उचित रूप से भरा जाना चाहिए ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 11(अ), तारीख 14 जनवरी, 1998 द्वारा प्ररूप ख के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 आ0 अ0 63 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2000 से अंतःस्थापित ।